

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग


—: अधिसूचना :-

पटना-15, दिनांक-24/02/2026  
संख्या-14/निजी-1235/2025-3825/सा0प्र0-श्रीमती अनीषा सिंह, बि0प्र0से0, को0क्र0-544/24, उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा व्यक्तिगत कारणों से दिनांक-17.02.2026 से दिनांक-27.02.2026 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों की छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1379(23), दिनांक-25.09.2025 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती अनीषा सिंह, बि0प्र0से0, को0क्र0-544/24, उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-277-11=266 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।


3. श्रीमती अनीषा सिंह, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1235/2025-3825/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक-24/02/2026  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/श्रीमती अनीषा सिंह, बि0प्र0से0, उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।